प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

24 मार्च **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के प्रतिवेदन सं. 8 - संघ सरकार (सिविल), विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र, अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 24 **मार्च 2017** को संसद में प्रस्तुत की गई है।

विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है जो बिना विधान मंडल वाले पॉच संघ शासित क्षेत्रों (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप) की लेखापरीक्षा से उजागर हुए।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

व्यय क्षेत्र

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

अण्डमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों से विपथित हुआ और अनिवार्य अनापत्तियाँ प्राप्त करने में विफल रहा। यह निष्फल व्यय, अपव्ययी व्यय, विलंबों, लागत वृद्धि, पुरोबंद एवं लंबी अवधि तक निर्माण-कार्य के अधूरे रहने आदि मामलों में प्रतिकलित हुआ, जिसके कारण अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों

के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयोजकता प्रदान करने का अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं हो सका था।

(पैरा सं. 2.1)

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पंचायती राज संस्थान सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तक और अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों से विपथित हुए थे। इसके फलस्वरूप, ₹161.91 लाख की कीमत के आठ निर्माण कार्यों में दोषपूर्ण योजना बनाने, चार निर्माण कार्यों के लिए ₹86.41 लाख के व्यय वाले अनुचित साइट सर्वेक्षण, कुल ₹174.90 लाख का सात मामलों में निर्माण कार्यों का अवास्तविक मूल्यांकन और ₹740.25 लाख तक की राशि की संस्वीकृतियों वाले 103 निर्माण कार्यों में मॉनीटरिंग विपथन के उदाहरण पाए गए जिसके कारणवश निर्माण कार्यों का रद्दीकरण और कार्य पूरा होने में विलंब और समय और लागत अधिक लगा।

(पैरा सं. 2.2)

अण्डमान तथा लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) की परियोजनाओं की योजना, निष्पादन तथा मॉनीटरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों की अनुपालना करने में विफलता का परिणाम उद्देश्यों को पूरा न किए जाने में हुआ। अनुचित योजना, विलम्बित कार्रवाई तथा नियमावली के अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹3.41 करोड़ के निष्फल/व्यर्थ व्यय, ₹4.08 करोड़ के अवरोधन तथा ₹37.45 लाख की अधिक लागत में हुआ। निर्माण कार्यों के निष्पादन में दरों का गलत उपयोग ₹1.79 करोड़ के अधिक भुगतान का कारण बना।

(पैरा सं. 2.3)

पोर्ट प्रबंधन बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर अवैधानिक रूप से पोर्ट ब्लेयर में दो त्रुटिपूर्ण और अपंजीकृत टगों का प्रयोग कर रहा था जो इसके कार्मिकों और यान के लिए जोखिम भरा था।

(पैरा सं. 2.4)

एपीडब्ल्यूडी द्वारा उत्पाद शुल्क छूट प्राप्त करने और पाइपों की खरीद सीधे निर्माता से करने में विफलता, जल आपूर्ति परियोजनाओं पर हुए ₹2.30 करोड़ के परिहार्य व्यय का कारण बना।

(पैरा सं. 2.5)

अण्डमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण-कार्य (एएलएचडब्ल्यू) ने एएनआई प्रशासन को झूठी सूचना दी कि किसी फर्म को भुगतान करने का उनका वैधानिक दायित्व है, जिससे एक ऐसी परियोजना चलती रही जो ₹1.18 करोड़ का व्यय होने के बाद बंद हो गयी। एएनआई प्रशासन के द्वारा सभी निर्माण कार्यों को बंद करने के उत्तरवर्ती आदेशों एवं निधियों को वापस लेने के बावजूद एएलएसडब्ल्यू ने व्यय करना जारी रखा।

(पैरा सं. 2.6)

अण्डमान लोक निर्माण विभाग ने आंशिक रूप से संरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर एक समुद्र भित्ति बनाने के कार्य का अनुबंध किया था परंतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। परिणामस्वरूप, निर्माण-कार्य को आंशिक निर्माण के बाद छोड़ दिया गया जिससे समुद्र अपक्षरण रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और ₹0.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैरा सं. 2.7)

पर्यटन विभाग ने जो सरकार द्वारा रकम उधार लेते समय दिये जाने वाली दरों से बहुत कम पट्टा किराया प्रभारित करते हुए निजी संचालक को जल खेल उपकरण पट्टे पर दिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने खेल परिसर में संचालक को किराया-मुक्त भवन एवं अहाता उपलब्ध कराया। विभाग ने अनुबंध में धारा भी हटा/लोपित कर दी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जाता कि संचालक ने लोगों से अनुचित उच्च शुल्क प्रभार नहीं लिया एवं संचालक के ऊपर अधिक से अधिक वित्तीय एवं वैधानिक नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाता।

(पैरा सं. 2.8)

चण्डीगढ़

चंडीगढ़ आवासीय बोर्ड (सीएचबी), ठेकेदार को भुगतान करने के पूर्व टीडीएस की कटौती करने में विफल रहा। तदुपरांत, आयकर विभाग के आग्रह पर, सीएचबी ने आईटी विभाग के पास ₹5.55 करोड़ टीडीएस के रूप में जमा किया।

(पैरा सं. 2.9)

नियमावली के उल्लंघन में, केन्द्रीय परियोजना प्रभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन ने 30 माह के लिए सरकारी खाते में से समय से पूर्व ₹3.82 करोड़ निकाल लिए और अनियमित रूप से अपने पास रखे और बाद में 32 माह से अधिक की अतिरिक्त अवधि हेतु ₹1.73 करोड़ का शेष अनियमित रूप से निरंतर अपने पास रखा था। इस खाते में ₹1.12 करोड़ की ब्याज हानि हुई थी।

(पैरा सं. 2.10)

दमन एवं दीव

दमन एवं दीव प्रशासन के द्वारा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2012-16 के दौरान बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रैनेज एंटी-सी इरोजन परियोजनाओं के गैर निष्पादन के बावजूद निधियों का निर्गम तथा दमन निगम परिषद (डीएमसी) के पास ₹6.50 करोड़ व्यर्थ पड़े रहे।

(पैरा सं. 2.12)

लक्षद्वीप द्वीपसमूह

संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक रूप से डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना जारी है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो यह सुनिश्चित करें कि डीजी सेट्स आवश्यकता के अनुसार स्थापित किया गया था। कवरत्ती एवं मिनीकॉय में विस्तृत भंडारण सुविधाओं के चालू नहीं होने का परिणाम ₹ 2.65 करोड़ की राशि के परिचालन हानि में हुआ। डीजल उपयोग मानदण्ड से अधिक, उच्च संचरण तथा वितरण हानियों में पाया गया था। चार सौर फाटोवोल्टिक (एसपीवी) प्लांट कार्य नहीं कर रहे थे जबकि दो का नवीकरण हो रहा था। बाकी राजस्व को संग्रह करने हेतु जेईआरसी निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी थी तथा एनटीपीसी से बकायों का गैर-संग्रहण भी पाया गया।

(पैरा सं. 2.13)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बायो-टायलेट के संस्थापन पर हुए व्यय को मॉनीटर करने में विफलता के परिणामस्वरूप यूटीएल प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन

करते हुए ₹17.27 करोड़ की राशि को सरकारी लेखे के बाहर रखा। फलस्वरूप, लक्षद्वीप में 12,000 बायो-टॉयलेटों के संस्थापन का उद्देश्य निष्फल रहा।

(पैरा सं. 2.14)

राजस्व क्षेत्र

चंडीगढ़

उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उच्च दर पर मोबाइल चार्जरों के विक्रेताओं के पुन: निर्धारण करने में विफलता के कारणवश ₹9.69 लाख का कम उदग्रहण हुआ था।

(पैरा सं. 3.1)

दादर एवं नागर हवेली

रिटर्न को देर से फाईल करने पर जुर्माना आरोपित करने में दादर एवं नागर हवेली के वैट विभाग की विफलता, जुर्माने के गैर-वसूली में परिणत हुई, जिसमें से, ₹21.79 लाख लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूला गया था।

(पैरा सं. 3.2)

दमन एवं दीव

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपनाए गए तरीकों पर शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि राजस्व को निर्धारित करने में दमन प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 15 वर्षों से ₹3.44 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी।

(पैरा सं. 3.3)

वाणिज्यिक क्षेत्र

लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड

मिनिकॉय में टूना कैनिंग फैक्टरी का आधुनिकीकरण

1500 कैन प्रति दिन से 10,000 कैन प्रति दिन तक टूना कैनिंग फैक्टरी, मिनिकॉय की क्षमता में उन्नयन को, कच्चे माल (टूना) की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना अनुमोदित की गयी थी। यूटीएल प्रशासन की यह भी सुनिश्चित करने में विफल रहा कि एलडीसीएल से भेजवाए प्रस्तावों को इसके निदेशक बोर्ड की स्वीकृति थी तथा तद्नुसार उनकी संवीक्षा की गई थी। आगे वित्त नियमावली का अनुपालन करने में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप ₹7.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ तथा छः वर्षों से अधिक के लिए ₹6.89 करोड़ अवरूद्ध पड़े रहे।

(पैरा सं. 4.1)